

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024**

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	FURTHER PROGRESS/ STATUS REPORT BY RESPONDENT NO. 7 DIVISIONAL FOREST OFFICER, SHAMLI IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 08.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE EVICTION NOTICES ISSUED TO THE ENCROACHERS IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE H2 CASES ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	THE PHOTOGRAPHS OF THE ENCROACHMENTS BEING REMOVED IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE MOM DATED 29.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS	

764

ANNEXURE-4

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 7
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 30.12.2025
PLACE: NOIDA

765

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

FURTHER PROGRESS/ STATUS REPORT BY RESPONDENT NO. 7
DIVISIONAL FOREST OFFICER, SHAMLI IN COMPLIANCE OF
ORDER DATED 08.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Jagdev Singh, aged about 59 years, S/o Shri Late Badri Prasad, Posted as Divisional Forest Officer, Shamli, State of U.P., do hereby most solemnly state and affirm as under:

1. That I, Jagdev Singh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.



FACTUAL BACKGROUND OF THE CASE

2. That in the present matter the Applicant has alleged rampant deforestation and illegal encroachment by farmers on reserved forest located in 7 villages i.e. Bibipur Jalalabad, Paoti Khurd, Dabhedi, Bibipur Hatia, Barnawi, Akbarpur Sunheti and Rataund of Shamli District, Uttar Pradesh.
3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 08.10.2025 directed the Deponent to place on record the Status report/further progress report with regards to the action taken in pursuance to these notices for removal of encroachment. The operative paragraph is stated below:

"...7. The Respondent No. 7 as also the Respondent No. 4 will place the further progress/status report on record atleast one week before the next date of hearing..."

FURTHER PROGRESS REPORT IN COMPLIANCE OF THE DIRECTIONS ISSUED BY THE HON'BLE TRIBUNAL


4. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that the demarcation of the forest land has been completed by the forest department on 30.09.2025 (kindly refer to judicial page no. 396 Annexure-1 of the Affidavit dt.



07.10.2025).

5. That out the total area demarcated, the total encroachment identified by the Forest Department was approximately 24.5913 ha. Out of the total encroachment found, the forest department has effectively removed 11.4402 ha. of temporary encroachment. That it is respectfully submitted that a total area of 13.1511 hectares of permanent encroachment has been duly identified on forest land.





S. N.	Total number of Khasras of the forest land mentioned in OA 915/2024 & others	Total area of forest in 590 Khasra number (in ha)	Total number of khasra surveyed	Total encroachment found (in ha)	Total encroachment removed (in ha)	Total remaining encroachment (in ha)	Action taken by the Forest Department for removal of encroachment
1.	590 526 (Total area 505.336 hectare) Akbarpur sunehi 64 (Total area 35.9393 hectare)	1-541.2753 hectare (Total forest land u/s 20 of IFA in total 166 khasra is 241.565 ha) (Total forest land u/s 4 of IFA in total 424 khasra is 299.7103 ha)	590	24.5913	12.5048 11.4402- temporary encroachment removed 1.0646- permanent encroachment removed	12.0865 (permanent encroachment)	<p>In pursuance of the provisions of the Indian Forest Act, 1927, legal proceedings have been initiated as follows:</p> <p>1. Under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927, total encroachment identified is approx. 8.7639 hectares. H-2 cases have been duly instituted in respect of 8.102 ha., and the requisite legal proceedings are presently underway in accordance with law. furthermore, 0.6619 ha of the encroachment has been removed by the forest department.</p> <p>2. In respect of forest land notified under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927, 4.3872 hectares of total encroachment has been identified by the dept. H-2 case has been duly instituted and eviction notices under Section 61B of the Indian Forest Act, 1927 have been lawfully issued against the concerned encroachers in respect of 3.9845 hectares of encroached forest land, and consequential proceedings are being carried out strictly in accordance with the prescribed legal procedure. furthermore, 0.4027 ha. of forest land, encroachment has been removed.</p>

6. That out of the total permanent encroachments, in respect of 3.9845 hectares of forest land notified under Section 20 of the Indian Forest Act, eviction notices under section 61 B of the IFA have been issued to 73 encroachers subsequent to serving the show-cause notices to appear and put forward their submissions. These 73 encroachers have raised/established 111 permanent constructions on 15 *khasra* of the forest land.

A copy of the eviction notices issued to the encroachers is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.

7. That with regards to the encroachment on 8.102 ha. forest land notified under section 4 of the IFA, it is submitted that H-2 cases have been duly instituted against the encroachers and the requisite legal proceedings are presently underway in accordance with law.

A copy of the H2 cases are annexed herewith and marked as ANNEXURE-2.

8. That out of the aforementioned permanent encroached area, encroachment measuring 1.0646 hectares has already been successfully removed, and the said action has been duly documented. From the total encroachment



770

removed, 0.4027 ha of forest land is notified under section 20, and 0.6619 ha of the forest land is notified under section 4 of the IFA.

The photographs of the encroachments being removed is annexed herewith and marked as ANNEXURE-3.

9. That furthermore, encroachers have submitted representations before the Forest Department and have also approached various quasi-judicial and administrative authorities, and such proceedings are presently pending consideration.

10. That it is most humbly submitted that for the removal of encroachments, the DM vide meeting dated 29.12.2025 has constituted a joint team comprising of the forest department, revenue department and the police department for the removal of encroachment. That as per the timeline provided during the meeting the forest land is expected to the encroachment free within 2 months. A copy of the MOM dated 29.12.2025 is annexed herewith and marked as

ANNEXURE-4.

S. No.	Village / Forest Block	Period



01	Barnavi	15.01.2026 to 17.01.2026
02	Akbarpur Sunaihati	20.01.2026 to 22.01.2026
03	Bibipur Hatiya	27.01.2026 to 29.01.2026
04	Dabhedi Buzurg	01.02.2026 to 03.02.2026
05	Bibipur Jalalabad	07.02.2026 to 09.02.2026
06	Pawati Khurd	13.02.2026 to 14.02.2026
07	Rataund	18.02.2026 to 20.02.2026

11. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

12. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.




DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Shamli on this 30 day of December, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.




DEPONENT


प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

RIT/LTI SIGNATURE OF DEPONENT

शामली वन प्रभाग के वनाधिकारी के रूप में
शामली वन प्रभाग के वनाधिकारी के रूप में
शामली वन प्रभाग के वनाधिकारी के रूप में

ATTESTED

30/11/25
FARZANA NOTARY
R.No:-13333/17.SHAMLI.



772
भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 26/2025-26 बनाम बिरमपाल पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि बिरमपाल पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 133 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1189/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा बिरमपाल पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

बिरमपाल पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर बिरमपाल पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति बिरमपाल पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 26/2025-26 बनाम संजय पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि संजय पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 133 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1188/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा संजय पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

संजय पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर संजय पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति संजय पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को सूचना कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 26/2025-26 बनाम राजेन्द्र पुत्र मांगा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि राजेन्द्र पुत्र मांगा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 133 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1187/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा राजेन्द्र पुत्र मांगा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

राजेन्द्र पुत्र मांगा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर राजेन्द्र पुत्र मांगा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति राजेन्द्र पुत्र मांगा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 26/2025-26 बनाम राकेश पुत्र बाल्ला, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि राकेश पुत्र बाल्ला, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 133 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1185/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा राकेश पुत्र बाल्ला, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

राकेश पुत्र बाल्ला, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।


उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर राकेश पुत्र बाल्ला, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति राकेश पुत्र बाल्ला, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



777
भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 26/2025-26 बनाम सतबीर पुत्र सुक्कड, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सतबीर पुत्र सुक्कड, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 133 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1184/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सतबीर पुत्र सुक्कड, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सतबीर पुत्र सुक्कड, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।


उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सतबीर पुत्र सुक्कड, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सतबीर पुत्र सुक्कड, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 26/2025-26 बनाम रामनाथ पुत्र सुक्कड, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि रामनाथ पुत्र सुक्कड, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 133 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1183/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा रामनाथ पुत्र सुक्कड, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

रामनाथ पुत्र सुक्कड, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।


उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर रामनाथ पुत्र सुक्कड, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति रामनाथ पुत्र सुक्कड, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



779
भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 26/2025-26 बनाम रितुपाल पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि रितुपाल पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 133 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1180/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा रितुपाल पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

रितुपाल पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर रितुपाल पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति रितुपाल पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 26/2025-26 बनाम कृष्णपाल पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि कृष्णपाल पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 133 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1181/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा कृष्णपाल पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

कृष्णपाल पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत संरंकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर कृष्णपाल पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

2- जिलाधिकारी, शामली।

3- पुलिस अधीक्षक, शामली।

4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति कृष्णपाल पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली





**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 26/2025-26 बनाम सुनील पुत्र ऋषिपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सुनील पुत्र ऋषिपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 133 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1182/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सुनील पुत्र ऋषिपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सुनील पुत्र ऋषिपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा० उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी०एन०गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सुनील पुत्र ऋषिपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सुनील पुत्र ऋषिपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 25/2025-26 बनाम बिजेन्द्र पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि बिजेन्द्र पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 134 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1172/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा बिजेन्द्र पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

बिजेन्द्र पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर बिजेन्द्र पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

2- जिलाधिकारी, शामली।


3- पुलिस अधीक्षक, शामली।

4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति बिजेन्द्र पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्त इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 25/2025-26 बनाम सुनील पुत्र सोहनबीर, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सुनील पुत्र सोहनबीर, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 134 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1173/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सुनील पुत्र सोहनबीर, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सुनील पुत्र सोहनबीर, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सुनील पुत्र सोहनबीर, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सुनील पुत्र सोहनबीर, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 25/2025-26 बनाम चैनपाल पुत्र रामशरण, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि चैनपाल पुत्र रामशरण, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 134 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1174/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा चैनपाल पुत्र रामशरण, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

चैनपाल पुत्र रामशरण, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर चैनपाल पुत्र रामशरण, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति चैनपाल पुत्र रामशरण, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 25/2025-26 बनाम देवेन्द्र पुत्र ओमपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि देवेन्द्र पुत्र ओमपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 134 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1175/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा देवेन्द्र पुत्र ओमपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

देवेन्द्र पुत्र ओमपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर देवेन्द्र पुत्र ओमपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति देवेन्द्र पुत्र ओमपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 25/2025-26 बनाम सोमा पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सोमा पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 134 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1176/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सोमा पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सोमा पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सोमा पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सोमा पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 25/2025-26 बनाम ओमप्रकाश पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि ओमप्रकाश पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 134 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1177/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा ओमप्रकाश पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

ओमप्रकाश पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर ओमप्रकाश पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


 प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
 शामली वन प्रभाग
 शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति ओमप्रकाश पुत्र बिरमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




 प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
 शामली वन प्रभाग
 शामली

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 25/2025-26 बनाम पूरण पुत्र रामशरण, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि पूरण पुत्र रामशरण, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 134 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1178/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा पूरण पुत्र रामशरण, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

पूरण पुत्र रामशरण, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर पूरण पुत्र रामशरण, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति पूरण पुत्र रामशरण, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 27/2025-26 बनाम हरवंश (गुलशन) पुत्र भोला, निवासी ग्राम मजरा डेरा संगतपुरा, ग्राम पंचायत बीबीपुर हटिया, थाना कैराना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि हरवंश (गुलशन) पुत्र भोला, निवासी ग्राम मजरा डेरा संगतपुरा, ग्राम पंचायत बीबीपुर हटिया, थाना कैराना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 537 व 553 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1179/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा हरवंश (गुलशन) पुत्र भोला, निवासी ग्राम मजरा डेरा संगतपुरा, ग्राम पंचायत बीबीपुर हटिया, थाना कैराना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

हरवंश (गुलशन) पुत्र भोला, निवासी ग्राम मजरा डेरा संगतपुरा, ग्राम पंचायत बीबीपुर हटिया, थाना कैराना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर हरवंश (गुलशन) पुत्र भोला, निवासी ग्राम मजरा डेरा संगतपुरा, ग्राम पंचायत बीबीपुर हटिया, थाना कैराना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति हरवंश (गुलशन) पुत्र भोला, निवासी ग्राम मजरा डेरा संगतपुरा, ग्राम पंचायत बीबीपुर हटिया, थाना कैराना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 वनाम कालुराम पुत्र ब्रह्मसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि कालुराम पुत्र ब्रह्मसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 135(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1190/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा कालुराम पुत्र ब्रह्मसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

कालुराम पुत्र ब्रह्मसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर कालुराम पुत्र ब्रह्मसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति कालुराम पुत्र ब्रह्मसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम पदम पुत्र ब्रहमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि पदम पुत्र ब्रहमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 135(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1191/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा पदम पुत्र ब्रहमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

पदम पुत्र ब्रहमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर पदम पुत्र ब्रहमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति पदम पुत्र ब्रहमसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम जगनी पत्नी धर्मपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि जगनी पत्नी धर्मपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 140(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1192/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा जगनी पत्नी धर्मपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

जगनी पत्नी धर्मपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर जगनी पत्नी धर्मपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति जगनी पत्नी धर्मपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम विनोद पुत्र ताराचन्द, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि विनोद पुत्र ताराचन्द, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 140(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1193/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा विनोद पुत्र ताराचन्द, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (i) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

विनोद पुत्र ताराचन्द, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर विनोद पुत्र ताराचन्द, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति विनोद पुत्र ताराचन्द, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम कृष्णपाल पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि कृष्णपाल पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 140(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1194/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा कृष्णपाल पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

कृष्णपाल पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर कृष्णपाल पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति कृष्णपाल पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम राजीव पुत्र लच्छीराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि राजीव पुत्र लच्छीराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 148 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1195/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा राजीव पुत्र लच्छीराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

राजीव पुत्र लच्छीराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर राजीव पुत्र लच्छीराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अघोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति राजीव पुत्र लच्छीराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम कपिल पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि कपिल पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 148 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1196/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा कपिल पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

कपिल पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर कपिल पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति कपिल पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम देवीसिंह पुत्र कर्मसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि देवीसिंह पुत्र कर्मसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 138 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1197/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा देवीसिंह पुत्र कर्मसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

देवीसिंह पुत्र कर्मसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर देवीसिंह पुत्र कर्मसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति देवीसिंह पुत्र कर्मसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम मेघराज पुत्र मलखानसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि मेघराज पुत्र मलखानसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 138 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1198/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा मेघराज पुत्र मलखानसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

मेघराज पुत्र मलखानसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा० उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी०एन०गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर मेघराज पुत्र मलखानसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति मेघराज पुत्र मलखानसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम हरेन्द्र पुत्र देवीसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि हरेन्द्र पुत्र देवीसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 138 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1199/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा हरेन्द्र पुत्र देवीसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

हरेन्द्र पुत्र देवीसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर हरेन्द्र पुत्र देवीसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति हरेन्द्र पुत्र देवीसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम बिलेन्द्र पुत्र फुलसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि बिलेन्द्र पुत्र फुलसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 138 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1200/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा बिलेन्द्र पुत्र फुलसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

बिलेन्द्र पुत्र फुलसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर बिलेन्द्र पुत्र फुलसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति बिलेन्द्र पुत्र फुलसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम नन्दकिशोर पुत्र पिरथी, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि नन्दकिशोर पुत्र पिरथी, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 138 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1201/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा नन्दकिशोर पुत्र पिरथी, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

नन्दकिशोर पुत्र पिरथी, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर नन्दकिशोर पुत्र पिरथी, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति नन्दकिशोर पुत्र पिरथी, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

802



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम भवैर सिंह पुत्र जिले सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि भवैर सिंह पुत्र जिले सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 138 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1202/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा भवैर सिंह पुत्र जिले सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

भवैर सिंह पुत्र जिले सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर भवैर सिंह पुत्र जिले सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति भवैर सिंह पुत्र जिले सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम भजनलाल पुत्र फूलसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि भजनलाल पुत्र फूलसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 138 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1203/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा भजनलाल पुत्र फूलसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

भजनलाल पुत्र फूलसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर भजनलाल पुत्र फूलसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति भजनलाल पुत्र फूलसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम प्रदीप पुत्र बेदूराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि प्रदीप पुत्र बेदूराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 138 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1204/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा प्रदीप पुत्र बेदूराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

प्रदीप पुत्र बेदूराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।


उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर प्रदीप पुत्र बेदूराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति प्रदीप पुत्र बेदूराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 वनाम नाहर सिंह पुत्र आशाराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि नाहर सिंह पुत्र आशाराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 136 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1205/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा नाहर सिंह पुत्र आशाराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

नाहर सिंह पुत्र आशाराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन वनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर नाहर सिंह पुत्र आशाराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति नाहर सिंह पुत्र आशाराम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम जोगिन्द्र पुत्र राजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि जोगिन्द्र पुत्र राजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 139 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1206/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा जोगिन्द्र पुत्र राजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

जोगिन्द्र पुत्र राजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर जोगिन्द्र पुत्र राजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति जोगिन्द्र पुत्र राजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

807



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम अंकुर पुत्र सतपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि अंकुर पुत्र सतपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 139 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1207/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा अंकुर पुत्र सतपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

अंकुर पुत्र सतपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर अंकुर पुत्र सतपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


 प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
 शामली वन प्रभाग
 शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति अंकुर पुत्र सतपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




 प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
 शामली वन प्रभाग
 शामली

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम मोहित पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि मोहित पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 144 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधियत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1208/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा मोहित पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

मोहित पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर मोहित पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति मोहित पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

809



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम बोहरम पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि बोहरम पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 144 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक कम् में इस कार्यालय के पत्रांक 1209/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा बोहरम पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

बोहरम पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के कम् में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर बोहरम पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति बोहरम पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम सजल पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सजल पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 144 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1210/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सजल पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सजल पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सजल पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सजल पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम सोमपाल पुत्र श्यामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सोमपाल पुत्र श्यामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 144 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1211/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सोमपाल पुत्र श्यामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सोमपाल पुत्र श्यामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सोमपाल पुत्र श्यामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सोमपाल पुत्र श्यामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम ओमपाल पुत्र श्यामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि ओमपाल पुत्र श्यामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 144 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1212/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा ओमपाल पुत्र श्यामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

ओमपाल पुत्र श्यामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर ओमपाल पुत्र श्यामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमणित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति ओमपाल पुत्र श्यामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम विनोद पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि विनोद पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 144 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1213/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा विनोद पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

विनोद पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर विनोद पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति विनोद पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 वनाम सुभाष पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सुभाष पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 144 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1214/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सुभाष पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सुभाष पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सुभाष पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सुभाष पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम नरेन्द्र पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि नरेन्द्र पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1216/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा नरेन्द्र पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

नरेन्द्र पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर नरेन्द्र पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति नरेन्द्र पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम सविन्दर पुत्र नैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सविन्दर पुत्र नैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1217/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सविन्दर पुत्र नैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सविन्दर पुत्र नैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सविन्दर पुत्र नैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सविन्दर पुत्र नैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम शोकिन्दर पुत्र हरवीर, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि शोकिन्दर पुत्र हरवीर, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1218/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा शोकिन्दर पुत्र हरवीर, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

शोकिन्दर पुत्र हरवीर, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर शोकिन्दर पुत्र हरवीर, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति शोकिन्दर पुत्र हरवीर, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम देवेन्द्र पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि देवेन्द्र पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1219/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा देवेन्द्र पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

देवेन्द्र पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा10 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर देवेन्द्र पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति देवेन्द्र पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम सेवाराम पुत्र नैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सेवाराम पुत्र नैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1220/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सेवाराम पुत्र नैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सेवाराम पुत्र नैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सेवाराम पुत्र नैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सेवाराम पुत्र नैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम बाबुराम पुत्र धर्मा, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि बाबुराम पुत्र धर्मा, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1221/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा बाबुराम पुत्र धर्मा, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

बाबुराम पुत्र धर्मा, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर बाबुराम पुत्र धर्मा, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति बाबुराम पुत्र धर्मा, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम नरेश पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि नरेश पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1222/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा नरेश पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

नरेश पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर नरेश पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति नरेश पुत्र पुरण, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम विनोद कुमार पुत्र विक्रम सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि विनोद कुमार पुत्र विक्रम सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1223/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा विनोद कुमार पुत्र विक्रम सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

विनोद कुमार पुत्र विक्रम सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर विनोद कुमार पुत्र विक्रम सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति विनोद कुमार पुत्र विक्रम सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम पप्पन पुत्र अजब सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि पप्पन पुत्र अजब सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1224/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा पप्पन पुत्र अजब सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

पप्पन पुत्र अजब सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर पप्पन पुत्र अजब सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति पप्पन पुत्र अजब सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम अशोक कुमार पुत्र श्याम सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि अशोक कुमार पुत्र श्याम सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1225/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा अशोक कुमार पुत्र श्याम सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

अशोक कुमार पुत्र श्याम सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर अशोक कुमार पुत्र श्याम सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति अशोक कुमार पुत्र श्याम सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम प्रदीप पुत्र अजब सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि प्रदीप पुत्र अजब सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1226/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा प्रदीप पुत्र अजब सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

प्रदीप पुत्र अजब सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर प्रदीप पुत्र अजब सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति प्रदीप पुत्र अजब सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम मदन पुत्र बेदु, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि मदन पुत्र बेदु, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1227/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा मदन पुत्र बेदु, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

मदन पुत्र बेदु, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।


उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर मदन पुत्र बेदु, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति मदन पुत्र बेदु, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम रामकुमार पुत्र मैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि रामकुमार पुत्र मैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1228/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा रामकुमार पुत्र मैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

रामकुमार पुत्र मैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर रामकुमार पुत्र मैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति रामकुमार पुत्र मैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

829

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम आनन्द पुत्र मैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि आनन्द पुत्र मैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1229/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा आनन्द पुत्र मैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

आनन्द पुत्र मैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर आनन्द पुत्र मैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति आनन्द पुत्र मैनसिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम श्रवण कुमार पुत्र प्रकाशचन्द, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि श्रवण कुमार पुत्र प्रकाशचन्द, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1230/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा श्रवण कुमार पुत्र प्रकाशचन्द, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

श्रवण कुमार पुत्र प्रकाशचन्द, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर श्रवण कुमार पुत्र प्रकाशचन्द, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति श्रवण कुमार पुत्र प्रकाशचन्द, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम अमित पुत्र प्रकाशचन्द, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि अमित पुत्र प्रकाशचन्द, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1231/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा अमित पुत्र प्रकाशचन्द, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

अमित पुत्र प्रकाशचन्द, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर अमित पुत्र प्रकाशचन्द, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति अमित पुत्र प्रकाशचन्द, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

832

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम राजवीर पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि राजवीर पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1232/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा राजवीर पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

राजवीर पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर राजवीर पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति राजवीर पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम लोकेश पुत्र बिजेन्द्र, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि लोकेश पुत्र बिजेन्द्र, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1233/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा लोकेश पुत्र बिजेन्द्र, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

लोकेश पुत्र बिजेन्द्र, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर लोकेश पुत्र बिजेन्द्र, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति लोकेश पुत्र बिजेन्द्र, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम बिजेन्द्र पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि बिजेन्द्र पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1234/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा बिजेन्द्र पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

बिजेन्द्र पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर बिजेन्द्र पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति बिजेन्द्र पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम राजेश पुत्र बिजेन्द्र, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि राजेश पुत्र बिजेन्द्र, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1235/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा राजेश पुत्र बिजेन्द्र, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

राजेश पुत्र बिजेन्द्र, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर राजेश पुत्र बिजेन्द्र, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
(शामली)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति राजेश पुत्र बिजेन्द्र, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
(शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम सतीश पुत्र सुशील, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सतीश पुत्र सुशील, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1236/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सतीश पुत्र सुशील, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सतीश पुत्र सुशील, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सतीश पुत्र सुशील, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सतीश पुत्र सुशील, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम शिवकुमार पुत्र कृष्णपाल, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि शिवकुमार पुत्र कृष्णपाल, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1237/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा शिवकुमार पुत्र कृष्णपाल, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

शिवकुमार पुत्र कृष्णपाल, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर शिवकुमार पुत्र कृष्णपाल, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति शिवकुमार पुत्र कृष्णपाल, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

839

**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 बनाम जीवन पुत्र कश्मीरा, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि जीवन पुत्र कश्मीरा, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1239/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा जीवन पुत्र कश्मीरा, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

जीवन पुत्र कश्मीरा, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर जीवन पुत्र कश्मीरा, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति जीवन पुत्र कश्मीरा, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 18/2024-25 बनाम शौकिनपाल पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि शौकिनपाल पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 142(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1171/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा शौकिनपाल पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

शौकिनपाल पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर शौकिनपाल पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति शौकिनपाल पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 18/2024-25 बनाम जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 142(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1170/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 18/2024-25 बनाम सुनील पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सुनील पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 142(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1169/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सुनील पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सुनील पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।


उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सुनील पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सुनील पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 18/2024-25 बनाम दिनेश पुत्र चश्मवीर, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि दिनेश पुत्र चश्मवीर, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 142(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1168/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा दिनेश पुत्र चश्मवीर, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

दिनेश पुत्र चश्मवीर, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर दिनेश पुत्र चश्मवीर, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति दिनेश पुत्र चश्मवीर, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 18/2024-25 बनाम अंकुर पुत्र शौकिनपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि अंकुर पुत्र शौकिनपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 142(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1167/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा अंकुर पुत्र शौकिनपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

अंकुर पुत्र शौकिनपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर अंकुर पुत्र शौकिनपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति अंकुर पुत्र शौकिनपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

वन विभाग 3098 परिधि (सर्किल) 845 खण्ड (डिवीजन) 2000

अन्य अपराध (क्राइम) प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 29/08/2025 (अधिक्षेत्र रेंक)

1927/1

बुक सं० 10

ANNEXURE-2

क्रम सं० 03

R.C No. 16/2025-26

- 1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- (1) लालि, पुत्र 20 बगदादीन 2 हाफ सर 510 राजगढ़ दीना (3) (4) (5) (6) साहिब 510 बालदीन ता. सह 600 510 साहिब 1 (8) गार्डर 510 (9) महन्द 510 (10) साहिब 510 (कि. कर)
- 1- साक्षी का नाम पता :- (1) सैयद शरी विले-परिह (2) इशक अगार न्यूनामे खेतान कमी
- 3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- उम्त अमिपुस्तो डारा वरनाली वन एलाक के स्वसरा नं० 204 (जी) कारा 4 की शुरू है कि साहिब उम्त डार मकान निर्माण करना।
- 4- मूल्य :-
- 5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :- विमाशपि कार्प वाही
- 6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :- महापप,

सादर निवेदन कर अवगत कराना है कि मां-यादना 2020 जी० टी० नई दिल्ली में दापर काद संख्या 9152/2024 के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के हल्का एररपालि श्री प्रेमल चौहान व विमाशपि सैयद शरी विलेन सह डारा वरनाली वन एलाक के स्वसरा नं० 204 का संयुक्त सर्वे/पैमि करारि गई ले। सर्वे के द्वारा पाया गया की उम्त अमिपुस्तो डारा स्वसरा नं० 204 पूरा रकम 0.7940 हेक्टेयर में 07640 हेक्टेयर शुरूपर लागत 20 वर्ष पूर्व पत्रक निर्माण कर अति प्रमत्त कर ररर है।

उम्त अमिपुस्तो का यह हल्का अमतीप वन अधि० 1927 की कारा 26 व 635 के अन्तर्गत दूधनीप अधराप है। अतिप्र कार्पवाही जारी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमम जी की सेवा में आवरपन कार्प वाही हेतु प्रेषित है।

उ० व० म० महापप

अवदीप विपिन ठाकुर (विपिन ठाकुर वरना)

वन अपराध की प्रथम सूचनाने प्रथम सूचना एवं सापेक्षता कार्प वाही हेतु प्रेषित

क्षेत्रीय वन अधिकारी कैराना रेंज (शामली)

वन विभाग 3080 परिधि (सर्किल) मथुरा खण्ड (डिवीजन) शामली

846

अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० 1924 की चारा 26 व 63 ग दिनांक 31/08/25 (अधिक्षेत्र रेंक)

बुक सं० 10

क्रम सं० 04

रेंज केस सं० - 17/25-26

1. तासिम पुत्र जफरा 2. हासिम पुत्र जफरा 3. शोकिन पुत्र बुल्ला 4. शोहरिन पुत्र जुहर
5. शिवकुमार पुत्र किशन 6. सुशील पुत्र सहीराम 7. राम किशन पुत्र उमरा
8. मैनपाल पुत्र सहीराम 9. ताराचंद पुत्र पीरधी 10. गामचंद पुत्र प्रकाश
11. सोनू पुत्र नौमपाल 12. वासिल पुत्र अयुब 13. रिपाज पुत्र इकिगु निवासी जण बरनावी त० कैराना जिला शामली

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-

1- साक्षी का नाम पता :- श्री बिजेन्द्र सिंह स्वर्धर

2. हारन अली दैनिक श्रमिक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- श्री अशोक कुमार नुनतम दैनिक श्रमिक

दिनांक :-

उक्त अभियुक्तों द्वारा बरनावी वन ब्लॉक के खसरा न०-203 जो चारा 4 की भूमि में पर अतिक्रमण कर फसक निमाण करता

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्यवाही का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :- मद्दोदय

सादर निवेदन कर उल्लेख कराना की मांग न्यायलय एन०पी०टी० नई दिल्ली में दाखल वाद सं०-3167/2024 के सम्बन्ध में आज दिनांक 30/08/25 को राजस्व विभाग के वन विभाग हल्का लेखपाल श्री पंकज चौहान व विभागीय स्वर्धर श्री बिजेन्द्र सिंह द्वारा बरनावी वन ब्लॉक के खसरा न०-203 का समुक्त सर्वे/पैमाशा कराई गई तो सर्वे के दौरान पाया गया की उक्त अभियुक्तों के द्वारा खसरा न०-203 कुल रकबा 0.4510 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 80 वर्ष पूर्व से फसक निमाण कर अतिक्रमण कर रखा है।

उक्त अभियुक्तों का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम-1924 की चारा 26 व 63 ग के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। समीम कार्यवाही जारी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्र० व० अ०

महोदय

वन अपराध की प्रणत हुल
जिसे प्रमाणित एवं साबुत कर
कार्यवाही माहूर डेपुटि है।

भवदीय
किपिन कुमार
(किपिन कुमार के०२०)
कीट प्रहारी बरनावी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज (शामली)

वन विभाग 30/30 परिधि (सर्विस) 847 खण्ड (डिवीजन) शामली

अन्य अपराध 1927 का 47A 26 व 63 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं 0 दिनांक 31/08/2025 (अधिक्षेत्र रेंक)

बुक सं 10 रेंज केस नं 18/2025-26 क्रम सं 05

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- 1. सैनु डी वलजीत (2) हाकम काली डी लिखाबत (3) मुस्तफा म डी अकरफ (4) लिखाबत डी असफ (5) महताब डी हासिम (6) राजवीर डी राजेन्द्र (7) सालीम डी सुरहसन (8) कालिम डी मीन (9) उममान डी इमलाम निवासी बरनाबी तौ कराना जिला शामली

1- साक्षी का नाम पता :- (1) श्री विजेन्द्र सिंह बख्श (2) अशोक कुमार नूनतम बेलन कमी (3) हासन काली दैनिक श्रमिक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- उक्त अभियुक्तों द्वारा बरनाबी वन ब्लॉक के खसरा नं 205 जो पार पंकी भूमि है में कालिभूम का कब्र स्थान निर्माण करना

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :- विभागीय कार्यवाही

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :- महापु, सादर निवेदन कर बताया जाता है कि नॉन्-ग्राम्यल वन नं 010 हीन नई दिल्ली के वायर कोड संख्या 9/15/20/2024 के संभव-ध में वाजिब विभाग के हल्का कारखाने श्री प्रकाश चौहान के विभागीय अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा बरनाबी वन ब्लॉक के खसरा नं 205 का संयुक्त सर्वे पैमाईश कराई गई तो सर्वे के दौरान पाया गया कि उक्त अभियुक्तों के द्वारा खसरा नं 205 कुल एकका 01520 है 5 से 01520 है भूमि पर लगभग 22 वक्खे एकका निर्माण कर कालिभूम कर रहा है। उक्त अभियुक्तों का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के अन्तर्गत दंडनीय कार्यवाही है। अभियुक्तों के विरुद्ध प्रसूचना रिपोर्ट श्री मान जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हस्ताक्षर

उ० व० म० महापु

वन संपत्ति की मूल प्रकृत्य जमीन सूचना के अन्तर्गत आवृत्त कार्यवाही हेतु सार प्रेषित है

अधीनस्थ अधिकारी (विदिन कुमार वंश) के प्रभारी बरनाबी

क्षेत्रीय वन अधिकारी कैराना रेंज (शामली)

वन विभाग 3050 परिधि (सर्किल) महाराष्ट्र खण्ड (डिवीजन) शासकी

848

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम प्रसूचना (रिपोर्ट) सं 1927 की धारा 26 व 63 के दिनांक 01/09/2025 (अधि क्षेत्र रेंज)

बुक सं 10

R.C. No - 19/25-26

क्रम सं 06

1- नाम, पिता का नाम व पुरा पता सहित :- (1) साहित्य डी० सागर (2) फारम डी० दिल्ली (3) सहज डी० अरवली (4) कानू डी० इरफान निवासी गांधी एंगल वरनावी, महाराष्ट्र केराना, जिला शासकी

1- साक्षी का नाम पता :- (1) श्री विजेन्द्र सिंह कर्जपुर (2) श्री अरवि कुमार नूनताप जयपुर (3) श्री हारन देविज अमिका

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- उक्त अभिभूतों द्वारा वरनावी वन ब्लॉक के खसरा नं 186 को धारा 4 की धारा में ही कानू डी० इरफान काप करना दिनांक :-

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :- विवेकीय कार्य वाही

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :- महाराष्ट्र

वन नं 01/07/20 नई दिल्ली के वापर काप करवा 01/5/20/2024 के सं 20-4 में वाजिरुव विभाग के हल्का लेखपाल श्री पंकज चौहान व विवेकीय कर्जपुर श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा वरनावी वन ब्लॉक के खसरा नं 186 को धारा 4 की धारा में ही कानू डी० इरफान काप करवा 01/07/20 के सं 20-4 में 18 वर्ष पूर्व पञ्जा निरीक्षण कर जातिधुमण कर करवा है। उक्त अभिभूतों का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है अग्रिम कार्य वाही काप वाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक विवेकीय (विवेकीय कर्जपुर) कानू डी० इरफान

30 व 30 महाराष्ट्र

वन अपराध की प्रथम प्रति सूचना के आकषण कापाकारी हेतु भारत उपरि

क्षेत्रीय वन अधिकारी केराना रेंज (शासकी)

वन विभाग 30 90 परिधि (सर्किल) 849 खण्ड (डिवीजन) श्यामली

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 01/09/2025 (अधिक्षेत्र रेंज)

बुक सं० 10

R.C.No - 20/25-26

क्रम सं० 07

(1) साजिद शि० नसीब, निवासी बरनाली, तहसील - कैराना जिला श्यामली

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-

1- साक्षी का नाम पता :-
(1) श्री विजेन्द्र सिंह सर्वेक्षक
(2) श्री कौशल कुमार न्यूनतम अंजन कर्म
(3) श्री प्रमोद शि० साहू

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- उक्त अधिपुत्रों द्वारा बरनाली वन हलाक के बक्सर दिनांक :- संख्या 193 जो पारा 26 व 63 ग के अधिनियम का अमान निर्माण कार्य करना

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :- विनाशकारी कार्यवाही

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :- महादप

उक्त अधिपुत्रों द्वारा बरनाली वन हलाक के बक्सर संख्या 193 का संयुक्त सर्वे / पैसाईस कराई गई जो सर्वे के दौरान पाया गया कि उक्त अधिपुत्रों के द्वारा बक्सर नं० 193 कुल रकम 0.0150 हे० भूमि पर लगभग 19 वर्ग फुट परक्य निर्माण कर आतिशय कर रखा है।

उक्त अधिपुत्रों का यह कार्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की पारा 26, व 63 ग के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। आशियम कार्यवाही जारी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नाम जी की संज्ञा में आचरणक कार्यवाही प्रेषित है।

50 व 60 म
महादप

वन अधिनियम की प्रथम और सूचनाय एवं आचरणक कार्यवाही साफर-बैषिह

महादीप विपिन कुमार

(विपिन कुमार के० ए०) वीर प्रमोद शि० बरनाली

क्षेत्रीय वन अधिकारी कैराना रेंज (श्यामली)

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) भारत गणराज्य खण्ड (डिवीजन) शाहमही

850

अन्य अपराध 1994 की धारा 26 व 63A प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 01/07/95 (अधिकक्षेत्र रेंज)

बुक सं० 10

R.C.No - 21/2025-26

क्रम सं० 08

- 1. मीनना पुत्र नुरहसन 2. समीन पुत्र आहद्वीन 3. नदीय पुत्र गद्दीदु
- 4. सकिल पुत्र जफरा 5. जाकिर पुत्र महमुद 6. गहगुद पुत्र काखद्वीन

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- 7. साकिल पुत्र अइसुफ 8. बाबूराम पुत्र जामदहन 9. रामकुमार पुत्र दीपचंद नि० बरनाची त० कैराना जिल्हा शाहमही।

- 1- साक्षी का नाम पता :- 1. अशोक कुमार नादैनिक श्राविक
- 2. ठारान ठाणी दैनिक श्राविक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बरनाची वन ब्लॉक के बरसरा न० - 199 पर अतिक्रमण कर पकका निर्माण करना दिनांक :-

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्यवाही का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :- महोदय

सादर निवेदन कर अज्ञात करना है कि मा० न्यायालय एच०पी० टी० नई दिल्ली में दायर वाद सं० 915 एच०/२०२१ के सम्बन्ध में राष्ट्रिय विभागीय के हल्का क्षेत्रपाल श्री पंकज चौहान व विभागीय सर्वेयर श्री बिजेन्द्र सिंह द्वारा बरनाची वन ब्लॉक के बरसरा न० - 199 का संयुक्त सर्वे / पैसाईश कराई गई है। सर्वे के दौरान पाया गया कि उक्त अधियुक्तों के द्वारा बरसरा न० - 199 कुल रकबा 3.5340 में से 0.3650 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 30 वर्ष पूर्व पकका निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है।

उक्त अधियुक्तों का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63A के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। आश्रित कार्यवाही जारी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना दी है।

50 व 0 850
महोदय

महोदय
विधि अधिकार
विधि नुमांर 0820
विधि नुमांर - बरनाची

वन अपराध की उपरान्त प्रसूचना के एवं आकृषक कार्यवाही मादर उपरि है

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज (शाहमही)

वन विभाग 3088 परिधि (सर्किल) मधुपूर खण्ड (डिवीजन) शामली

851

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 01/09/25 (अधिक्षेत्र रैंक)

1924 की धारा 26 व 23

बुक सं० 10

P.C.No. 22/2025-26 क्रम सं० 09

- 1. रामफल पुत्र गामचंद 2. राशीद पुत्र गीरहसन 3. गौकीन पुत्र पुलहसन
- 4. साबीरा पुत्र कमरु 5. महदीहसन पुत्र जादुर 6. महताब पुत्र जमजौद नि०

1- नाम, पिता का नाम व बरगावी तहसील कैरना जिला शामली।
पूरा पता सहित :-

1- साक्षी का नाम पता :- 1. श्री बिजेन्द्र सिंह सर्वेयर 2. अरूक कुमार न्यूनतम दैनिक श्रमिक
3. मंगता दैनिक श्रमिक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बरगावी वन ब्लॉक के खसरा सं०-191 पर उर्वर अतिक्रमण
कर फका निर्माण कर मकान बनाना
दिनांक :-

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्यवाही
का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग
आदि का उल्लेख :- मधुपूर

सादर निवेदन कर उल्लेखित कराना हो की मानव्यापलय एन०बी०टी०
नई दिल्ली में पायर वाद सं० 915 ए/2024 के सम्बंध में राजस्व विभाग के द्वारा लेखपाल
श्री फंजल चौहान व विभागीय सर्वेयर श्री बिजेन्द्र सिंह द्वारा बरगावी वन ब्लॉक के खसरा
सं०-191 का संयुक्त सर्वे पंजीकृत कराई गई। तो सर्वे के दौरान पाया गया की उक्त
अधिकृतों के द्वारा खसरा न०-191 कुल रकबा- 1.480 हेक्टर में से 0.5245 हेक्टर
वन भूमि पर 15 वर्ष पूर्व फका निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है।
उक्त अधिकृतों का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1924 की धारा 26 व 23
के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है अतिस कार्रवाई जारी है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सूचना प्रेषित है।

30 व 31

मधुपूर

वन अपराध की प्रथम सूचना
सूचना एवं आकषत्रक
कार्यावाही हेतु फाकर प्रेषित है

मधुपूर
किपिन कार
विपिन कुमार ठरठ
वी०एस०एम० बरगावी

फह
देशीय वन अधिकारी
कैरना रैंज (शामली)

वन विभाग 3030 परिधि (सर्किल) राहमपुर खण्ड (डिवीजन) शामली

अन्य अपराध भारतीय कानून 852 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं. दिनांक 03/09/2025 (अधिक्षेत्र रैंक) 1927 की लारा 265635

बुक सं० 10

क्रम सं० 10

R.C.No 23/2025-26

(1) जिराफा 510 सफा] निवासी गण बनगवा की तहसील
(2) पिलवा 510 सफा] कराना जिला शामली

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-

(1) श्री सुरेश कुमार न्यूनतम वंशज फर्मा

1- साक्षी का नाम पता :-

(2) श्री मंगला इनिज क्षमिक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- दिनांक :-

बनगवा की वन क्लॉक रजिस्ट्रार नं० 206 पर 3550 का कतिअमदा कर पकका निर्माण कर मकान बनाना

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :-

विभागीय कार्यवाही

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :-

महोदय, सादर निवेदन कर अज्ञात कराना है कि शांति माफसत सन० 1910 की वन पिलवा में दापर काद रजिस्ट्रार 015/2024 के माफसत में राजीव विभागीय क्लॉक रजिस्ट्रार की पकका फर्मा पहलान व विभागीय सर्वेयर श्री विजय सिंह द्वारा बनगवा की वन क्लॉक रजिस्ट्रार 206 का कतिअमदा कर पकका निर्माण कर मकान बनाना के दौरान पाया गया कि उक्त कतिअमदा कर पकका निर्माण कर मकान बनाना के द्वारा रजिस्ट्रार नं० 206 पर 3550 का कतिअमदा कर पकका निर्माण कर मकान बनाना है। उक्त कतिअमदा कर पकका निर्माण कर मकान बनाना के द्वारा रजिस्ट्रार नं० 206 पर 3550 का कतिअमदा कर पकका निर्माण कर मकान बनाना है। उक्त कतिअमदा कर पकका निर्माण कर मकान बनाना के द्वारा रजिस्ट्रार नं० 206 पर 3550 का कतिअमदा कर पकका निर्माण कर मकान बनाना है।

अधक्षेत्र अधिकारी (विधि) फर्मा नं० 50 की रजिस्ट्रार बनगवा

3030 मधोपप

वन अफसर जी उपर कूल उरि सुनना के सब सावधान कापी कापी साध उचित है

क्षेत्रीय वन अधिकारी कराना रेंज (शामली)

वन विभाग उदध परिधि (सर्किल) सहस्रपुर खण्ड (डिवीजन) शाहमहली

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम प्रसूचना (रिपोर्ट) सं 853 दिनांक 05/09/2025 (अधिक्षेत्र रैंक)

बुक सं० 10

क्रम सं० 11

R.C. No- 24/2025-26

- 1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-
- 1- साक्षी का नाम पता :-
- (1) सखीर 510 मजरापि
 - (2) इमरान 510 खबरदीन
 - (3) राजुलाल 510 मांगी
 - (4) जाकिर 510 फरखाना
- अन्य उद्धारक व्यक्तियों द्वारा
- (1) श्री अशोक कुमार नूनतम धेतान फार्मा
 - (2) श्री मेगना देवि क शमिक

निकासीगण, शाह-अमरगढ़, सहस्रपुर-कैराना, जिला-शाहमहली

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- वरनावा वन ब्लॉक खबरदीन नं० 197 का कचैदा
दिनांक :- कति शमका कर पक्का निमाणा कार्य कर मकान बनाना

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :- विकासीय कार्यवाही

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :- महादप

सादर निवेदन कर अवगत कराना है कि मा० नं० 197 की नई दिल्ली में सादर कार्य संख्या 915200/2024 के सम-पत्र में राजस्थान विभाग के हल्का खबरपाल श्री पंकज चौहान व विक्रमजी मजरापि श्री विजय सिंह द्वारा वरनावा वन ब्लॉक के खबरदीन नं० 197 का कचैदा सभ / फॉरार्ड करार गई तो सभ के दौरान प्राचार्यजी कि उक्त अभियुक्तों के द्वारा खबरदीन नं० 197 कुल एकवा 0.1740 हे० में से 0.1740 हे० वन भूमि पर लगभग 15 वर्ग फुट पक्का निमाणा कर कति शमका कर रखा है।

उक्त अभियुक्तों का यह हल्का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। कार्रवाई कार्यवाही जारी है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में अवसरपूर्वक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शंभुशंभु
महादप

वन अपराध की प्रथम सूचना सूचनाधी स्व स्वाशुक्त कार्यवाही सादर रिपोर्ट

भक्तप
विपिन शर्मा
(विपिन कुमार वरनावा)
वति प्रभारी वरनावा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज (शाहमहली)

वन विभाग 30 प्र० परिधि (सर्किल) सहायपुर खण्ड (डिवीजन) 200/200

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम प्रसूचना (रिपोर्ट) नं० 854 दिनांक 05/09/2025 (अधिक्षेत्र रेंज) 1927 की धारा 26 व 63 ग

बुक सं० 10 R.C. No- 25/2025-26 क्रम सं० 12

- 1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-
- (1) नफे दीन शि० अली ठास
 - (2) इमरान शि० उल्फत
 - (3) बाजिद शि० भासनि
 - (4) शफीक शि० मुमताज
- आदि अज्ञात व्यक्ति को डार
- 1- साक्षी का नाम पता :-
- (1) श्री इशरोक कुमार - मुमताज अली का भाई
 - (2) श्री हसन बेनिक शुभिक

निवासी गठ - 21/11 - 92-1/1 की
 तहसील - कानपुर
 जिला - शिमली

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- वनराजी वन तलाक के खतरा नं० 198 पर अवैध
 दिनांक :- कालि उमरा कर पकका निमाण कार्य कर प्रकान बनाना

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :-
 विमश्रीपि कार्यवाही

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :-
 महोदय,

सादर निवेदन कर अवगत कराना है कि मा०
 न्यायलय संन० 6710 सी० नई दिल्ली में दापर लाद संख्या 915 सं०/2024 के सम्बन्ध
 में वाजिसव विभाग के हल्का लखपत श्री प्रमो चौहान व विमश्रीपि समीप श्री
 विमो-पु सिंह द्वारा वनराजी वन तलाक के खतरा नं० 198 का संश्लेषण सखी/पैमोसि
 कार्य तो श्री प्रमो उमरा अमिभूमि के द्वारा खतरा नं० 198 पुनः पुनः 01/27/10 ई०
 में से 01/27/10 ई० वन भूमि पर लागू 20 वर्ष पूर्व पकका निमाण कर कालि उमरा
 कर रखा है।

उमरा अमिभूमि का यह हल्का भारतीय वन अधिनियम 1927 की
 धारा 26 व 63 ग के अन्तर्गत दोषनापि अपराध है। अग्निम कार्यवाही जारी है।
 प्रथम प्रसूचना रिपोर्ट अधिनियम की सेवा में आवश्यक कार्यवाही है।

प्रेषित है
 प्र० व० अ०
 महोदय

वन अपराध की प्रथम गुरु प्रती
 सूचार्थ एव सावशक कार्यवाही
 सादर प्रेषित है।

अबदीप
 विदिन ठास
 (विदिन ठास व 00/00)
 वन प्रमो वनराजी


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 कैराना रेंज (शिमली)

राष्ट्रीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 ग

बुक सं 10

R.C.No-26/2025-26

क्रम सं 13

1. शक्ति पुत्र रियासत 2. रुकमदीन पुत्र किताबु

3. तारिम पुत्र हारिम 4. सादिन पुत्र निसरत

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- 5. इमरान पुत्र जीजू निवासी गण बरनावी तंकेराना जिला शमशरी

1- साक्षी का नाम पता :- 1. अशोक कुमार न्यूनतम वेतन कमी 2. ममता दैनिक श्रमिक 3. हारून डली दैनिक श्रमिक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बरनावी वन ब्लॉक के खसरा नं 364 जोकी धारा 4 की अमीन की पर अतिक्रमण कर पकका निर्माण करना।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्यवाही का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :- महोदय,

उक्त जी 0 टी नई दिल्ली में पापर वाद सं 915/2024 के सम्बंध में राज्य विभाग के द्वारा लेखापाल श्री फकज चौहान व विभागीय सर्वेयर श्री विवेक कुमार द्वारा बरनावी वन ब्लॉक के खसरा नं 364 का संयुक्त सर्वे। पैसाईरा कराई गई तो पाया गया की उक्त अभियुक्तों के द्वारा खसरा नं 364 कुल रकबा 1.3100 हेक्टर भूमि में से 0.17 हेक्टर वन भूमि पर अतिक्रमण कर पकका निर्माण किया गया है।

अतः उक्त अभियुक्तों का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा 26 व 63 ग के अन्तर्गत एडानीय अपराध है अशिम कार्यवाही जारी है प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सूचनापत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है।

महोदय

वन अपराध की स्थिति सूचना हेतु सादर भेजा है।

भवदीय विवेक कुमार (वीट प्रभारी बरनावी)

856

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम प्रसूचना (रिपोर्ट) सं 1927 की धारा 26 व 63 ग दिनांक 06/09/2025 अधिक्षेत्र रेंक

बुक सं 10

R.C.No. 27/2025-26

क्रम सं 14

- 1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-
 - (1) शाली - 5 S10 राम
 - (2) काला करण S10 दुरीन
 - (3) संजू S10 काला करण
 - (4) शमीम S10 रहीर
- 1- साक्षी का नाम पता :-
 - (1) श्री अशोक कुमार - सुनताम केतनधर
 - (2) श्री इमरान दैनिक श्रमिक
 - (3) श्री भंगला दैनिक श्रमिक
- 3- कथित अपराध का पूरा विवरण :-

परनाली वन टलाक के खसरा नं 20 का 670 कि प्ला 4 की वन भूमि है पर काला करण कर पकका निर्माण करना
- 4- मूल्य :-
- 5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :-

विभागीय कार्यवाही
- 6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यारे और प्रभाग आदि का उल्लेख :-

महोदय

सादर निवेदन कर अवगत कराना है कि मां न्यायपालिका नं 010/01 नई दिल्ली के दायरे लाय संख्या 915 र/2024 के सटव-या के राजस्व विभाग के हल्का लेखपाल श्री पकका - पौलन व विभागीय कार्यवाही श्री विजेन्द्र सिंह के द्वारा परनाली वन टलाक के खसरा नं 20 का संयुक्त रूप से 1 पैमाईस करवाई गई तो पाया गया कि उक्त कर्मचारी के द्वारा खसरा नं 20 का कुल रकम 1,249000 रु. भूमि में से 0,27000 रु. भूमि पर लागू कर 20000 रु. का काला कर पकका निर्माण कार्य किया गया है।

काला उक्त कर्मचारी का यह हल्का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 ग के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

उपरोक्त प्रसूचना रिपोर्ट श्री मान जी की कक्षा में प्रसूचना नं 27/2025-26 का कार्यवाही कर दी जा रही है।

30 व 30
महोदय

महोदय
विपिन कुमार
(विपिन कुमार वं 010)
काला करण परनाली

वन अपराध की मूल्य प्रति प्रमाण
सुनताम एवं आवकक कार्यवाही
है इ इति

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज (शामली)

बुक सं 10

R.C. No. 28/2025-26

क्रम सं 15

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-
(1) शीकत शिवाजी गण - वरनाबी
(2) बेफाकत शिवाजी गण - वरनाबी
(3) सरवर शिवाजी गण - वरनाबी
(4) शकील शिवाजी गण - वरनाबी

1- साक्षी का नाम पता :-
(1) अशोक कुमार न्यूनतम वेतन कमी
(2) मंगला देविका शर्मा
(3) हारून देविका शर्मा
3- कथित अपराध का पूरा विवरण :-
दिनांक :- वरनाबी वन ब्लॉक के खसरा नं 148 की धारा 4 की धारा 26 व 63A पर अतिक्रमण कर पकड़ा जा रहा है।
4- मूल्य :-
5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :-
विभागीय कार्रवाई

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :- महादप

सादर निवेदन कर अवगत करना है कि प्रा० संख्या ३२०७० जी०टी० नई दिल्ली से वापस आने के बाद करण 015 सं०/2024 के आदेश के अनुसार वरनाबी वन ब्लॉक के खसरा नं 148 की धारा 26 व 63A पर अतिक्रमण कर पकड़ा जा रहा है। उक्त अतिक्रमण के कारण 17 वर्ष अतिक्रमण कर पकड़ा जा रहा है। उक्त अतिक्रमण का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63A के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। अतिक्रमणकारी को उक्त अतिक्रमण रिपोर्ट अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63A के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के अतिक्रमण के कारण 17 वर्ष अतिक्रमण कर पकड़ा जा रहा है।

30 व 30
महादप

अशोक कुमार
विधि अधिकारी
(विधि अधिकारी 0220)
वीटपहारी वरनाबी

वन अधिनियम की धारा 26 व 63A के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अतिक्रमण
सादर सूचित है।

केजी वन अधिकारी
श्रीमान रेंज (शामली)

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- 1. इस्लाम पुत्र सलीम २. यामीन पुत्र सलीम नि० बरनावी थाना कैराना त० कैराना जिला-शामली

1- साक्षी का नाम पता :- 1. अशोक कुमार पुत्र नरेश कुमार २. टारन सली वैदिक शक्ति 3. पंभना दैनिक शक्ति

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बरनावी वन ब्लॉक के अन्तर्गत सं०-347 जेकी धारा 4 की सुविधा पर अतिक्रमण कर पक्का निमाण/भवन निमाण करना

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :- विभागीय कार्यवाही।

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :- सहोदय

सादर निवेदन कर अवगत कराना है कि माठ न्यायलय एतदर्थ 06 नई दिल्ली से दायर वाद सं०-315 ए/2024 के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के ठेका लेखपाल श्री पंकज चौहान व विभागीय सर्वेयर श्री बंकिम सिंह द्वारा बरनावी वन ब्लॉक के अन्तर्गत सं०-347 का संयुक्त सर्वे निष्पत्ति कराई गई तो पाया गया की उक्त अभियुक्तों के द्वारा अन्तर्गत सं०-347 कुल रकबा 0.456 हेक्टेयर भूमि में से 0.450 हेक्टेयर वन भूमि पर अन्तर्गत-15 वर्ष पूर्व अतिक्रमण कर पक्का निमाण/भवन निमाण किया गया है।

अतः उक्त अभियुक्तों का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम-1924 की धारा 26 व 63A के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है अतिसम कार्यवाही जारी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित की गई सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संभवतः सहोदय

वन अपराध की प्रथम सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

शुद्धीय विपिन कुमार विपिन कुमार वरुण वीट...

बेबी वन अधिकारी कैराना रेंज (शामली)

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) 859 खण्ड (डिवीजन) रामली

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक ०१/१०/१५ (अधिकेत्र रेंक)

1924 के धारा 26 व 63 के अन्तर्गत R.G. No - 30/१५-१६

बुक सं० 10

क्रम सं० 17

1. इस्लाम पुत्र साबिर 2. इमरान पुत्र सालमदीन 3. कर्मवीर पुत्र हुकमा 4. लक्ष्मी पुत्र पौदा 5. जाबिर पुत्र अलीहसन 6. अकबर पुत्र जहूर 7. इकबाल पुत्र मुदा 8. अलीशान पुत्र हनीफ 9. रुकमदीन पुत्र अखतर 10. मोतीराम पुत्र समैरा 11. जयपाल पुत्र पल्लु 12. राजकुमार पुत्र मलखान 13. राममैहर पुत्र मौरी 14. हरिया पुत्र रामशरण 15. ओमवीर पुत्र चुली 16. तदीप पुत्र लोती शेष अभियुक्तों के नाम वृत्त के पिछे संकेत है।

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-

1. श्री अशोक कुमार न्यूनतम वेतन कमी 2. राजीव वर्मा वृत्त लेखपाल 3. श्री बिजेन्द्र सर्वेयर 4. मंगता दैनिक श्रमिक।

1- साक्षी का नाम पता :-

1. श्री अशोक कुमार न्यूनतम वेतन कमी 2. राजीव वर्मा वृत्त लेखपाल 3. श्री बिजेन्द्र सर्वेयर 4. मंगता दैनिक श्रमिक।

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :-

अकबरपुर सुन्टेटी वन ब्लॉक के खसरा न०-१०, 161, 120, 220, 221, 4-1 दिनांक :- 215, 223, 228, 218, 214, 294, 232, खसरो पर सर्वेच अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करना।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्याही का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :-

सादर निवेदन कर अवगत करना है की माठ न्यायलय एन० जी० टी० नई दिल्ली में दापर वाद सं० 915 ए/१०१५ के सम्बंध में राजस्व विभाग वृत्त लेखपाल श्री राजीव वर्मा व विभागीय सर्वेयर श्री बिजेन्द्र सिंह द्वारा अकबरपुर सुन्टेटी वन ब्लॉक के खसरा न०-१०, 161, 41, 120, 220, 221, 215, 223, 228, 218, 214, 294, 232 का संयुक्त सर्वे पैमाशा कराई गई तो पाया गया की उक्त अभियुक्तों के द्वारा खसरा न०-१० कुल रकबा 0.5430 हेक्टेयर में से 0.5430 हेक्टेयर वन भूमि पर श्री अभियुक्त शुदा पुत्र किताब 2. फुस्कान पुत्र इकबाल के द्वारा व खसरा न०-232 कुल रकबा 1.0680 हेक्टेयर में से 0.0200 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. इस्लाम पुत्र साबिर के द्वारा व खसरा न०-220 कुल रकबा 0.0200 हेक्टेयर में से 0.0200 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त इमरान पुत्र अलामदीन के द्वारा व खसरा न०-221 कुल रकबा 0.0820 हेक्टेयर में से 0.0820 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. कर्मवीर पुत्र हुकमा 2. लक्ष्मी पुत्र पौदा के द्वारा व खसरा न०-215 कुल रकबा 3.2060 हेक्टेयर में से 0.085 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. जाबिर पुत्र अलीहसन 2. अकबर पुत्र जहूर 3. फुष्ण पुत्र आजा के द्वारा व खसरा न०-120 कुल रकबा 0.1640 हेक्टेयर में से 0.1640 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. मोतीराम पुत्र समैरा 2. जयपाल पुत्र पल्लु 3. रामकुमार पुत्र मलखान 4. राममैहर पुत्र पुत्र मौरी के द्वारा व खसरा न०-218 कुल रकबा 0.1020 हेक्टेयर में से 0.1020 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. हरिया पुत्र रामशरण 2. ओमवीर पुत्र चुली 3. तदीप पुत्र लोती 4. फुस्कान पुत्र अखतर 5. राजीव पुत्र राजसिंह के द्वारा व खसरा न०-228 कुल रकबा 0.1220 हेक्टेयर में से 0.0150 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. मंगला पुत्र हसन के द्वारा व खसरा न०-214 कुल रकबा 0.4300 हेक्टेयर में से 0.4300 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त

दस्तावेज संख्या 1 के शेष अभियुक्तों के नाम

- 12. पुरकम पुत्र अफसर 13 राजीव पुत्र घनसिंह 14 मनाब पुत्र हसन 15 गहिर पुत्र जकरदीन
- 21 नौशाद पुत्र असगर 22 आरिफ पुत्र अकबर 23 शरिद पुत्र इकमदीन 24 शदा पुत्र इस्माईल
- 25 दिन पुत्र इस्माईल 26 इलियास पुत्र मुलकी 27 अकसर पुत्र मदन मुदक गहिर पुत्र सुजेमान
- 28 आसिनवाज पुत्र जमाल 29 इलियास पुत्र शेरजंग 30 इस्लाम पुत्र यामीन 31 मुंशी पुत्र मंजुर
- 33 याकुब पुत्र रियाज 34 आलमगिर पुत्र शुदा 35 आशा पुत्र इमरान निवासी गण- अकबरपुर मुहंसी धाना कैराना तहसील कैराना जिला शम्शली

दस्तावेज संख्या 6 का अंश का विवरण

1. गहिर पुत्र जकरदीन 2. नौशाद पुत्र असगर 3. आरिफ पुत्र अकबर 4. सादक पुत्र इस्वाइन के द्वारा व खसरा नं० 215 कुल रकबा 3.2060 हेक्टेयर में से 0.065 हेक्टेयर वन भूमि पर पीन पुत्र इस्माईल के द्वारा व खसरा नं०-294 कुल रकबा 0.1120 हेक्टेयर में से 0.1120 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्तों 1. इलियास पुत्र मुलकी 2. अकसर पुत्र शदा के द्वारा व खसरा नं० 43 कुल रकबा 0.2470 हेक्टेयर में से 0.2470 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्तों 1. गहिर पुत्र सुजेमान 2. अलीनवाज पुत्र जमाल 3. इलियास पुत्र शेरजंग 4. इस्लाम पुत्र यामीन के द्वारा व खसरा नं० 90 कुल रकबा 0.5430 हेक्टेयर में से 0.5430 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. आशा पुत्र इमरान 2. आलमगिर पुत्र शुदा के द्वारा व खसरा नं०-293 कुल रकबा 0.0610 हेक्टेयर में से 0.0610 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्तों 1. मुंशी पुत्र मंजुर 2. याकुब पुत्र रियाज निवासी गण- अकबरपुर मुहंसी तहसील जिला शम्शली के द्वारा व खसरा नं० पर खसरा नं०-20 व 21 से 0.0610 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्तों का यह कुल भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा 26 व 63 ग के अन्तर्गत दखलीय अपराध है।

अतः, स्वयं सूचना रिपोर्ट प्रीमान जी की सेवाने आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
 प्रबंधक
 महीदम
 वन अपराध की मूल प्रति सूचना अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
 अधिकारी
 कैराना रेंज (शम्शली)
 अधिकारी
 विधि नं० 10
 (विधि नं० 10 व 11)

वन विभाग 3090

परिधि (सर्किल) 861

खण्ड (डिवीजन) शामली

अन्य अपराध प्रारंभिक वन अधिकारी प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 30/09/2025 (अधिकार क्षेत्र रेंक)

निपम 1927 की धारा-26

बुक सं० 09

क्रम सं० 09

RC No. 23/2025-26

1- मोनू पूत्र हरकेश मि. मजरा श्यामनाग (ग्राम पंचायत बीबीपुरा जलालाबाद थाना-झिंझाना त. कटरना जिला-शामली, 2- चंद्रमवीर पूत्र ब्रजपाल मि. मजरा शिवनगा (ग्राम पंचायत-बीबीपुरा जलालाबाद थाना-झिंझाना, त. कटरना जिला-शामली

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-

3- गजपूर पूत्र उमरपीन उर्फ उमरा, 4- अस्लुब पूत्र शब्दोर, 5- साजिद पूत्र अब्दुलु निवासी गण-मजरा रतौड़ ग्राम पंचायत बीबीपुरा थाना-झिंझाना, त. कटरना जिला-शामली

1- साक्षी का नाम पता :-

राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- रतौड़ वन ब्लॉक के खसरा 153 म पर साक-सफाई कर दिनांक :- 30/09/2025 अतिक्रमण करना।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :- विभागीय जांच

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग मद्योदय, आदि का उल्लेख :- मा. न्यायालय NPT के O.A. केस सं० 915/2024 के अंतर्गत में दिनांक - 09-09-2025 को राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा राजस्व ग्राम रतौड़ में वन विभाग के खसरा नं० 153 म की संयुक्त टीम द्वारा पंचायत की गयी जिसमें - 1- मोनू पूत्र हरकेश मि. मजरा श्यामनाग (ग्राम पंचायत बीबीपुरा जलालाबाद थाना-झिंझाना, त. कटरना जिला-शामली, 2- चंद्रमवीर पूत्र ब्रजपाल मि. मजरा शिवनगा (ग्राम पंचायत-बीबीपुरा जलालाबाद थाना-झिंझाना, त. कटरना जिला-शामली, 3- गजपूर पूत्र उमरपीन उर्फ उमरा, 4- अस्लुब पूत्र शब्दोर, 5- साजिद पूत्र अब्दुलु निवासी गण-मजरा रतौड़, ग्राम पंचायत बीबीपुरा जलालाबाद थाना-झिंझाना त. कटरना जिला-शामली द्वारा उक्त खसरा नं० पर साक-सफाई कर खेती की हुयी पत्नी गयी है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट शीमल जी की सेवा में सूचनापत्र एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपेक्षित है।

पठवना० शामली :-

मद्योदय, वन अपराध केस के एक प्रति आपकी सेवा में सूचनापत्र व आवश्यक कार्रवाई हेतु उपेक्षित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ऊन, शामली

पार्थ
(जोगेंद्र कुमार)
वनरक्षक
उभारी लीड
बीबीपुरा जलालाबाद

वन विभाग 30-90

परिधि (सर्किल) 862

खण्ड (डिवीजन) शामली

अन्य अपराध भारतीय वन प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 30/09/2025 (अधिक्षेत्र रेंक)
आधिनियम 1927 की धारा-26 व 63

बुक सं० 09

क्रम सं० 10

RC No. - 25/2025-26

1- बिजेन्द्र पुत्र महासिंह, 2- सुनील पुत्र सोहनबोर, 3- चैनपाल पुत्र रामशरण, 4- देवेन्द्र पुत्र ओमपाल, 5- सोमा पुत्र चन्दमान, 6- ओमप्रकाश पुत्र बिरमसिंह,

1- नाम, पिता का नाम व 7- पूरण पुत्र रामशरण, निवासी गण मजरा शिवन्गा
पूरा पता सहित :- ग्राम पंचापत बीबीपुर जलालाबाद ग्रामा-सिंसाणा, तहसील-
कैराना जिला-शामली

1- साक्षी का नाम पता :- राजस्व विभाग व वन विभाग की सम्पुक्त टीम

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक के खसरा सं० 134 पर
दिनांक :- 30/09/2025 पक्का/शकन निर्माण कर अतिक्रमण करना / खसरा सं०-
134 के रकबा 0.2460 पर अतिक्रमण

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच
का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय,

आदि का उल्लेख :- माननीय न्यायालय नया के OA केस सं० 915/2024
के अन्तर्गत में ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में वन विभाग की वन भूमि के खसरा सं०-
134 की राजस्व विभाग व वन विभाग की सम्पुक्त टीम द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927
की धारा-20 के अन्तर्गत सम्पुक्त पैमाइश की गजी लिसमें 1- बिजेन्द्र पुत्र महासिंह,
2- सुनील पुत्र सोहनबोर, 3- चैनपाल पुत्र रामशरण, 4- देवेन्द्र पुत्र ओमपाल, 5- सोमा
पुत्र चन्दमान, 6- ओमप्रकाश पुत्र बिरमसिंह, 7- पूरण पुत्र रामशरण, निवासी गण
मजरा शिवन्गा, ग्राम पंचापत बीबीपुर जलालाबाद, ग्रामा-सिंसाणा, तहसील-कैराना
जिला-शामली द्वारा शकन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है जो भारतीय वन
अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 के तहत दंडनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट की मान ली गई सेवा में सूचना एवं
स्वयं आवश्यक कर्मवाही हेतु उचित है।
उपरोक्त शामिल :-

महोदय,
वन अपराध केस की रक प्रति सीमम जी
की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कर्मवाही
हेतु उचित है।

प्रार्थी
(जोगेंद्र कुमार)
वनरक्षक
बीबीपुर जलालाबाद बीट

Jera
क्षेत्रीय वन अधिकारी
ऊन, शामली

वन विभाग 3650 परिधि (सर्किल) 863 खण्ड (डिवीजन) शामली

अन्य अपराध भारतीय वन प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 30/09/2025 (अधिकक्षेत्र रेंक)

आधिनियम 1927 की धारा-26 व 63

बुक सं० 09

क्रम सं० 11

RC No. - 26/2025-26

1- रितुपाल पुत्र बिरमसिंह, 2- कृष्णपाल पुत्र बिरमसिंह, 3- सुनील पुत्र ऋषिपाल, 4- रामनाथ पुत्र सुब्बा, 5- सतबीर पुत्र सुब्बा, 6- राकेश पुत्र बाल्ला, 7- शिवकुमार पुत्र बाल्ला, 8- राजेन्द्र पुत्र मांगा, 9- संजय पुत्र रतनसिंह, 10- बिरमपाल पुत्र रतनसिंह,

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- निवासोमण मजरा शिवनगर, ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना- सिंसाना, तालुका- जिला- शामली

1- साक्षी का नाम पता :- राजस्व विभाग व वन विभाग की संपूर्ण टीम

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक के खसरा सं० 133 पर दिनांक :- 30/09/2025 भवन/पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना खसरा सं० 133 के रकबा 0.6100 है पर अतिक्रमण।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय, आदि का उल्लेख :- मा. न्यायालय NDA के OA केस सं० 9/15/2024 के अन्तर्गत में ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में वन विभाग की वन भूमि के खसरा सं० 133 की राजस्व व वन विभाग की संपूर्ण टीम द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 के अनुसार संपूर्ण पैमाइश की गयी जिसमें 1- रितुपाल पुत्र बिरमसिंह, 2- कृष्णपाल पुत्र बिरमसिंह, 3- सुनील पुत्र ऋषिपाल, 4- रामनाथ पुत्र सुब्बा, 5- सतबीर पुत्र सुब्बा, 6- राकेश पुत्र बाल्ला, 7- शिवकुमार पुत्र बाल्ला, 8- राजेन्द्र पुत्र मांगा, 9- संजय पुत्र रतनसिंह, 10- बिरमपाल पुत्र रतनसिंह, निवासोमण मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद थाना- सिंसाना, तालुका- जिला- शामली द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के तहत दंडनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट अधिमान जी की सेवा में सूचना एवं आग्रहपत्र कर्मचारी केन्द्रवादी हेतु उपरिष्ठ है।

प्र० वना० शामली :-

महोदय, वन अपराध केस की रकम प्रति अधिमान जी की सेवा में सूचना एवं आग्रहपत्र कर्मचारी हेतु उपरिष्ठ है।

प्रभु (जोगेंद्र कुमार) वनसूचक बीबीपुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी जून, शामली

बीबीपुर जलालाबाद

865

खण्ड (डिवीजन) शामली

वन विभाग 30 प्र० परिधि (सर्किल) धरद्वारापुर

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० बुक सं० 09

दिनांक 30/9/2025 (अधिक्षेत्र रेंक)

क्रम सं० 12

RC No- 27/2025-26

- 1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- 1. हरवंश (गुलशन) 5/0 भोलानिवासी मजरा डेरा संगतपुरा ग्राम पंचायत बीबीपुर हलिमा, भाना कैशाना, तहसील कैशाना, जिला शामली
- 1- साक्षी का नाम पता :- राजस्व विभाग व वनविभाग की संयुक्त टीम
- 3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- पावटी खुर्द वन ब्लॉक के खसरा सं० 537 व दिनांक :- 30/9/2025 553 पर भवन/पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जाँच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय, आठ व भागालूम NCT के OA केस सं० 915/2024 के अनुक्रम में ग्राम पावटी खुर्द में वन विभाग की वन भूमि के खसरा सं० 537 व 553 की राजस्व व वनविभाग की संयुक्त टीम द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-20 के अनुसार संयुक्त परमादेश की गयी जिसमें ① हरवंश (गुलशन) 5/0 भोलानिवासी मजरा डेरा संगतपुरा, ग्राम पंचायत बीबीपुर हलिमा, भाना कैशाना, तहसील कैशाना, जिला शामली, 30 प्र० के द्वारा खसरा नं० 537 में 0.04 हेक्टेयर व खसरा नं० 553 में 0.07 हेक्टेयर वन भूमि पर भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सूचना दी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। प्र० वना० शामली :-

महोदय, वन अपराध केस की एक प्रति श्रीमान जी की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी ऊन, शामली

प्राप्ती Sandeep Rana (संदीप राणा) वन टिकट वीट प्रभारी पावटी खुर्द

वन विभाग 3030 परिधि (सर्किल) 866 खण्ड (डिवीजन) शामली

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 01/10/2025 (अधिकक्षेत्र रेंक)

बुक सं० 09 क्रम सं० 13

AC No - 28/2025-26

1- नरेश पुत्र जगपाल, 2- सतीश पुत्र विक्रम, 3- ईश्वर पुत्र प्रकाशा

4- जगपाल पुत्र खेमचन्द, 5- राधू पुत्र हरबीर, 6- उदेश पुत्र कुवाडी

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- 7- वकील पुत्र खुरशैद निवासी गण मजरा बानीपुर शक पंचायत - बीबीपुर (जलालाबाद भाना-सिंझाना, त. कौराना जिला - शामली

1- साक्षी का नाम पता :- स्व. अन्ध 20 व्याक्ति प्रो. के नाम H2 केस नुम्बर के पीछे अंकित है। राजस्व विभाग व वन विभाग की सम्पूक्त टीम

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- रतौड़ वन ब्लॉक के खसरा सं०- 479 के रकबा- 0.72 हे. दिनांक :- 01/10/2025 खसरा सं०- 141 म रकबा 0.36 हे, खसरा सं०- 140 रकबा 0.25 हे. एवं खसरा सं०- 143 के रकबा 0.15 हे. पर मकब/पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय आदि का उल्लेख :- शाक बीबीपुर जलालाबाद में वन विभाग की वन भूमि के खसरा सं० 479, 0.72 हे. 141 म, 140 व 143 की राजस्व विभाग व वन विभाग की सम्पूक्त टीम द्वारा पैमाइश की गयी जिसमें खसरा सं०- 479 पर 1- नरेश पुत्र जगपाल, 2- सतीश पुत्र विक्रम, 3- ईश्वर पुत्र प्रकाशा, 4- जगपाल पुत्र खेमचन्द, 5- राधू पुत्र हरबीर, 6- उदेश पुत्र कुवाडी, 7- वकील पुत्र खुरशैद, निवासी गण मजरा बानीपुर शक पंचायत बीबीपुर (जलालाबाद भाना-सिंझाना, तहसील - कौराना जिला - शामली एवं अन्ध 20 व्याक्ति प्रो. के नाम H2 केस नुम्बर के पीछे अंकित है) द्वारा मकब/पक्का निर्माण कर हुआ पाया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचता रिपोर्ट क्षीमावसी की सेवा में सूचता प्र. एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। पु० घना० शामली

महोदय, वन अपराध केस की शक्यता आपकी सेवा में सूचता प्र. एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

प्राप्ति (जगजित कुमार) वन रक्षक डन रेंज

क्षेत्रीय वन अधिकारी जन. शामली

- 8- जौनी पुत्र सुवर्षी, 9- इन्दु पुत्र जगपाल, 10- सुरेश पुत्र जगपाल,
 11- कल्लु पुत्र प्रकाशा, 12- बिलेन्दु पुत्र सोहन, 13- उमेश पुत्र कुषडी
 निवासी गण, मजरा बनीपुरा ग्राम पंचायत बीबीपुरा (जलालाबाद, भाना-झिंझाना, त-
 कैराना जिला-शामली) द्वारा खसरा सं०-479 के रकबा 0.22 हे०, तथा
 14- धरराम पुत्र सुन्दर, 15- सोनू पुत्र दरकेश, 16- बालकिशन पुत्र सुन्दरलाल,
 17- राधेश्याम पुत्र दुलीचन्द, 18- सिधाराम पुत्र मुन्शी, 19- सुभाष पुत्र जगुराम,
 20- बिरुट्टु पुत्र सेवासिंह, 21- धनराज पुत्र रत्नीराम, 22- ²²⁻ कलीराम पुत्र कलीराम, 23-
 मदनलाल पुत्र कलीराम, निवासी गण मजरा श्यामलगा ग्राम पंचायत बीबीपुरा
 जलालाबाद भाना-झिंझाना त-कैराना जिला-शामली द्वारा खसरा सं०-140 के
 रकबा 0.25 हे० एवं खसरा सं० 141 के रकबा 0.36 हे० एवं 24- रामभजन
 पुत्र अमरनाथ, 25- वीरमान पुत्र अमरनाथ, 26- जगसिंह पुत्र अमरनाथ,
 27- राजपाल पुत्र अमरनाथ द्वारा खसरा सं० 143 के रकबा 0.15 हे०
 पर भवन/पक्का निर्माण कर अविद्युत व दूआ पापा गपा ही

जागी
 (जौनी) का
 पं. न. क्र. ७
 क. व. के. ज.

वन विभाग 3090

परिधि (सर्किल)

868

खण्ड (डिवीजन)

शामली

अन्य अपराध प्रारंभिक वन अधिनियम प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 30/09/2025 (अधिकार क्षेत्र रेंक)

निषम 1927 की धारा-26

बुक सं० 09

क्रम सं० 09

RC No. 23/2025-26

1- मोनू पूत्र हरकेश मि. मजरा श्यामनाग (ग्राम पंचायत बीबीपुरा जलालाबाद थाना-झिंझना त. कटरना जिला-शामली, 2- चंद्रमवीर पूत्र ब्रजपाल मि. मजरा शिवनगा (ग्राम पंचायत-बीबीपुरा जलालाबाद थाना-झिंझना, त. कटरना जिला-शामली

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-

3- गजपूर पूत्र उमरपीन उर्फ उमरा, 4- अस्लुब पूत्र शब्दोर, 5- साजिद पूत्र अब्दुल निवासी गण-मजरा रतौड़ ग्राम पंचायत बीबीपुरा थाना-झिंझना, त. कटरना जिला-शामली

1- साक्षी का नाम पता :-

राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- रतौड़ वन ब्लॉक के खसरा 153 म पर साक-सफाई कर दिनांक :- 30/09/2025 अतिक्रमण करना।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :- विभागीय जांच

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग मद्योदय, आदि का उल्लेख :- मा. न्यायालय NPT के O.A. केस सं० 915/2024 के अंतर्गत में दिनांक - 09-09-2025 को राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा राजस्व ग्राम रतौड़ में वन विभाग के खसरा नं० 153 म की संयुक्त टीम द्वारा पंचायत की गयी जिसमें - 1- मोनू पूत्र हरकेश मि. मजरा श्यामनाग (ग्राम पंचायत बीबीपुरा जलालाबाद थाना-झिंझना, त. कटरना जिला-शामली, 2- चंद्रमवीर पूत्र ब्रजपाल मि. मजरा शिवनगा (ग्राम पंचायत-बीबीपुरा जलालाबाद थाना-झिंझना, त. कटरना जिला-शामली, 3- गजपूर पूत्र उमरपीन उर्फ उमरा, 4- अस्लुब पूत्र शब्दोर, 5- साजिद पूत्र अब्दुल निवासी गण-मजरा रतौड़, ग्राम पंचायत बीबीपुरा जलालाबाद थाना-झिंझना त. कटरना जिला-शामली द्वारा उक्त खसरा नं० पर साक-सफाई कर खेती की हुयी पत्ती गयी है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट शीमल जी की सेवा में सूचनापत्र एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपेक्षित है।

पठवना० शामली :-

मद्योदय, वन अपराध केस के प्रति आपकी सेवा में सूचनापत्र व आवश्यक कार्रवाई हेतु उपेक्षित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी ऊन, शामली

पार्थ (जोगेंद्र कुमार) वनरक्षक उभारी लीड बीबीपुरा जलालाबाद

वन विभाग 30-90

परिधि (सर्किल)

869

खण्ड (डिवीजन)

शामली

अन्य अपराध भारतीय वन प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 30/09/2025 (अधिक्षेत्र रेंक)
आधिनियम 1927 की धारा-26 व 63

बुक सं० 09

क्रम सं० 10

RC No. - 25/2025-26

1- बिजेन्द्र पुत्र महासिंह, 2- सुनील पुत्र सोहनबोर, 3- चैनपाल पुत्र रामशरण, 4- देवेन्द्र पुत्र ओमपाल, 5- सोमा पुत्र चन्दमान, 6- ओमप्रकाश पुत्र बिरमसिंह,

1- नाम, पिता का नाम व 7- पूरण पुत्र रामशरण, निवासी गण मजरा शिवनगा
पूरा पता सहित :- ग्राम पंचापत बीबीपुर जलालाबाद ग्रामा-सिंसाणा, तहसील-
कैराना जिला-शामली

1- साक्षी का नाम पता :- राजस्व विभाग व वन विभाग की सम्पुक्त टीम

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक के खसरा सं० 134 पर
दिनांक :- 30/09/2025 पक्का/शकन निर्माण कर आतिष्काण करना / खसरा सं०-
134 के रकबा 0.2460 पर कीतिकरण

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच
का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय,

आदि का उल्लेख :- माननीय न्यायालय नया के OA केस सं० 915/2024
के अनुक्रम में ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में वन विभाग की वन भूमि के खसरा सं०-
134 की राजस्व विभाग व वन विभाग की सम्पुक्त टीम द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927
की धारा-20 के अनुसार सम्पुक्त पैमाइश की गजी जिसमें 1- बिजेन्द्र पुत्र महासिंह,
2- सुनील पुत्र सोहनबोर, 3- चैनपाल पुत्र रामशरण, 4- देवेन्द्र पुत्र ओमपाल, 5- सोमा
पुत्र चन्दमान, 6- ओमप्रकाश पुत्र बिरमसिंह, 7- पूरण पुत्र रामशरण, निवासी गण
मजरा शिवनगा, ग्राम पंचापत बीबीपुर जलालाबाद, ग्रामा-सिंसाणा, तहसील-कैराना
जिला-शामली द्वारा शकन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है जो भारतीय वन
अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 के तहत दंडनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट की मान ली गई सेवा में सूचना
स्वयं आवश्यक कर्मवाही हेतु उचित है।
उपरोक्त शामिल :-

महोदय,
वन अपराध केस की रक प्रति सीमम जी
की सेवा में सूचना स्वयं आवश्यक कर्मवाही
हेतु उचित है।

प्रार्थी
(जोगेंद्र कुमार)
वनरक्षक
बीबीपुर जलालाबाद बीट

Jera
क्षेत्रीय वन अधिकारी
ऊन,शामली

वन विभाग 3650 परिधि (सर्किल) 870 खण्ड (डिवीजन) शामली

अन्य अपराध भारतीय वन प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 30/09/2025 (अधिकक्षेत्र रेंक)
आधिनियम 1927 की धारा-26 व 63
बुक सं० 09 क्रम सं० 11

RC No. - 26/2025-26

1- रितुपाल पुत्र बिरमसिंह, 2- कृष्णपाल पुत्र बिरमसिंह, 3- सुनील पुत्र ऋषिपाल, 4- रामनाथ पुत्र सुब्बा, 5- सतबीर पुत्र सुब्बा, 6- राकेश पुत्र बाल्ला, 7- शिवकुमार पुत्र बाल्ला, 8- राजेन्द्र पुत्र मांगा, 9- संजय पुत्र रतनसिंह, 10- बिरमपाल पुत्र रतनसिंह,
1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- निवासोमण मजरा शिवनगर, ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना- सिंसाना, तालुका- कैराना, जिला- शामली

1- साक्षी का नाम पता :- राजस्व विभाग व वन विभाग की संपूर्ण टीम

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक के खसरा सं० 133 पर दिनांक :- 30/09/2025 भवन/पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना खसरा सं० 133 के रकबा 0.6100 है पर अतिक्रमण।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय, आदि का उल्लेख :- मा. न्यायालय NDA के OA केस सं० 915/2024 के अनुक्रम में ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में वन विभाग की वन भूमि के खसरा सं० 133 की राजस्व व वन विभाग की संपूर्ण टीम द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 के अनुसार संपूर्ण पैमाइश की गयी जिसमें 1- रितुपाल पुत्र बिरमसिंह, 2- कृष्णपाल पुत्र बिरमसिंह, 3- सुनील पुत्र ऋषिपाल, 4- रामनाथ पुत्र सुब्बा, 5- सतबीर पुत्र सुब्बा, 6- राकेश पुत्र बाल्ला, 7- शिवकुमार पुत्र बाल्ला, 8- राजेन्द्र पुत्र मांगा, 9- संजय पुत्र रतनसिंह, 10- बिरमपाल पुत्र रतनसिंह, निवासोमण मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद थाना- सिंसाना, तालुका- कैराना जिला- शामली द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के तहत दंडनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट अधिनियम की सेवा में सूचना एवं आकषपक कार्यवाही हेतु उचित है।

प्र० यना० शामली :-

महोदय, वन अपराध केस की रकू डति अधिनियम की सेवा में सूचना एवं आकषपक कार्यवाही हेतु उचित है।

प्रभु (जोगेंद्र कुमार) वनसूचक बीबीपुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी जून, शामली

871

खण्ड (डिवीजन) शामली

वन विभाग 30 प्र० परिधि (सर्किल) धौदमपुर

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० बुक सं० 09

दिनांक 30/9/2025 (अधिक्षेत्र रेंक)

क्रम सं० 12

RC No- 27/2025-26

- 1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- 1. हरवंश (गुलशन) 5/0 भोलानिवासी मजरा डेरा संगतपुरा ग्राम पंचायत बीबीपुर हलिमा, भाना कैशाना, तहसील कैशाना, जिला शामली
- 1- साक्षी का नाम पता :- राजस्व विभाग व वनविभाग की संयुक्त टीम
- 3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- पावटी खुर्द वन ब्लॉक के खसरा सं० 537 व दिनांक :- 30/9/2025 553 पर भवन/पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जाँच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय, आठ व भागालपुर NCT के OA केस सं० 915/2024 के अनुक्रम में ग्राम पावटी खुर्द में वन विभाग की वन भूमि के खसरा सं० 537 व 553 की राजस्व व वनविभाग की संयुक्त टीम द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-20 के अनुसार संयुक्त परमादेश की गयी जिसमें ① हरवंश (गुलशन) 5/0 भोलानिवासी मजरा डेरा संगतपुरा, ग्राम पंचायत बीबीपुर हलिमा, भाना कैशाना, तहसील कैशाना, जिला शामली, 30 प्र० के द्वारा खसरा नं० 537 में 0.04 हेक्टेयर व खसरा नं० 553 में 0.07 हेक्टेयर वन भूमि पर भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। प्र० वना० शामली :-

महोदय, वन अपराध केस की एक प्रति श्रीमान जी की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी ऊन, शामली

प्राप्ती Sandeep Rana (संदीप राणा) वन टाक गिट प्रभारी पावटी खुर्द

वन विभाग 3030 परिधि (सर्किल) 872 खण्ड (डिवीजन) शामली

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 01/10/2025 (अधिकक्षेत्र रेंक)

बुक सं० 09 क्रम सं० 13

AC No - 28/2025 - 26

1- नरेश पुत्र जगपाल, 2- सतीश पुत्र विक्रम, 3- ईश्वर पुत्र प्रकाशा, 4- जगपाल पुत्र खेमचन्द, 5- राधू पुत्र हरबीर, 6- उदेश पुत्र कुवाडी

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- 7- वकील पुत्र खुरशैद निवासी गण मजरा बानीपुर शक पंचायत- बीबीपुर (जलालाबाद भाना-सिंझाना, त. कौराना जिला-शामली

1- साक्षी का नाम पता :- स्व. अन्ध 20 व्याक्ति प्रो. के नाम H2 केस नुम्बर के पीछे अंकित है। राजस्व विभाग व वन विभाग की सम्पूक्त टीम

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- रतौड़ वन ब्लॉक के खसरा सं०- 479 के रकबा- 0.72 हे. दिनांक :- 01/10/2025 खसरा सं०- 141 म रकबा 0.36 हे, खसरा सं०- 140 रकबा 0.25 हे. एवं खसरा सं०- 143 के रकबा 0.15 हे. पर मकब/पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय आदि का उल्लेख :- शाक बीबीपुर जलालाबाद में वन विभाग की वन भूमि के खसरा सं० 479, 0.72 हे. 141 म, 140 व 143 की राजस्व विभाग व वन विभाग की सम्पूक्त टीम द्वारा पैमाइश की गयी जिसमें खसरा सं०- 479 पर 1- नरेश पुत्र जगपाल, 2- सतीश पुत्र विक्रम, 3- ईश्वर पुत्र प्रकाशा, 4- जगपाल पुत्र खेमचन्द, 5- राधू पुत्र हरबीर, 6- उदेश पुत्र कुवाडी, 7- वकील पुत्र खुरशैद, निवासी गण मजरा बानीपुर शक पंचायत बीबीपुर (जलालाबाद भाना-सिंझाना, तहसील- कौराना जिला-शामली एवं अन्ध 20 व्याक्ति प्रो. के नाम H2 केस नुम्बर के पीछे अंकित है) द्वारा मकब/पक्का निर्माण कर हुआ पाया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचता रिपोर्ट क्षीमावसी की सेवा में सूचता प्र. एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। पु० घना० शामली

महोदय, वन अपराध केस की शक्यता आपकी सेवा में सूचता प्र. एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी जन. शामली

प्राप्ति (जगज कुमा) वन रक्षक डन रंज

- 8- जौनी पुत्र सुब्रह्मचर्य, 9- इन्दु पुत्र जगन्नाथ, 10- सुरेश पुत्र जगन्नाथ,
 11- कल्लु पुत्र प्रकाश, 12- बिलेन्दु पुत्र सोहन, 13- उमेश पुत्र कुषाही
 निवासी गण, मजरा बनीपुरा ग्राम पंचायत बीबीपुरा (जलालाबाद, भाना-झिंझाना, त-
 कैराना जिला-शामली) द्वारा खसरा सं०-479 के रकबा 0.22 हे०, तथा
 14- धराम पुत्र सुन्दर, 15- सोबू पुत्र दरेश, 16- बालकिशन पुत्र सुन्दरलाल,
 17- राधेश्याम पुत्र दुलीचन्द, 18- सिधाराम पुत्र मुन्शी, 19- सुभाष पुत्र जगन्नाथ,
 20- बिरुद पुत्र सेवासिंह, 21- धनराज पुत्र श्रीराम, 22- श्रीराम पुत्र कलीराम, 23-
 23- मदनलाल पुत्र कलीराम, निवासी गण मजरा श्यामलगा ग्राम पंचायत बीबीपुरा
 जलालाबाद भाना-झिंझाना त-कैराना जिला-शामली द्वारा खसरा सं०-140 के
 रकबा 0.25 हे० एवं खसरा सं० 141 के रकबा 0.36 हे० एवं 24- रामभद्र
 पुत्र अमरनाथ, 25- वीरमान पुत्र अमरनाथ, 26- जगसिंह पुत्र अमरनाथ,
 27- राजपाल पुत्र अमरनाथ द्वारा खसरा सं० 143 के रकबा 0.15 हे०
 पर भवन/पक्का निर्माण कर अविद्युत व दूआ पापा गपा ही

जागी
 (जौनी कुषाही)
 पत्रकार
 कानपुर

That GPS-enabled photographic evidence, together with newspaper cutting



GPS Map
Camera Lite

Barnau, Uttar Pradesh, India 🇮🇳

Latitude
29.49371608°

Longitude
77.1799603°

Local 02:31:28 PM
GMT 09:01:28 AM

Altitude 236 meters
Friday, 05.12.2025

875



 **Note cam lite**

Address : Akaberpur Sunehi,Uttar Pradesh,India

Latitude : 29.48898°

Longitude : 77.159525°

Altitude : 237.0 meter


Date : 12/16/2025 02:44 PM

Accuracy : 1.2 meter

Time zone : GMT+05:30

Note : Captured by Note cam

876



877



878



879





GPS Map Camera



बरनौ, उत्तर प्रदेश, भारत 🇮🇳

G528+6gp, बरनौ, उत्तर प्रदेश 247774, भारत

Lat 29.501298° Long 77.165957°

मंगलवार, 16/12/2025 02:07 PM GMT +05:30



882



GPS Map
Camera Lite

Barnau, Uttar Pradesh, India 🇮🇳

Latitude
29.49362683°

Longitude
77.18016131°

Local 02:34:02 PM
GMT 09:04:02 AM

Altitude 236 meters
Friday, 05.12.2025

883



GPS Map Camera



बरनौ, उत्तर प्रदेश, भारत 🇮🇳

बरनौ, उत्तर प्रदेश, भारत, बरनौ, उत्तर प्रदेश, भारत

Lat 29.493726° Long 77.180242°

मंगलवार, 16/12/2025 03:39 PM GMT +05:30

884







शुक्र, 1 नवंबर
1 नवंबर, 2025
पृष्ठ 14

दैनिक जागरण



www.jagan.com

राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, वाराणसी, दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, मुंबई, कोलकाता, बंगलूर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलूर, चेन्नई

दो पृष्ठों में दो दर्जन कथनियाँ हा रही जायगी 11

राज्य में विदेशी विप्लव को 12

बीबीपुर हटिया में चला बुलडोजर एनजीटी के निर्देश पर हटा कब्जा

- शुक्रवार सुबह ही वन विभाग के अफसर और पुलिस पहुंची
- तीन महीने पहले एनजीटी ने वन विभाग को दिए थे निर्देश

संवाद सूत्र, जागरण ● चौसाना : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर शुक्रवार को बीबीपुर हटिया में वन भूमि पर हुआ अवैध कब्जा आखिरकार हटवा दिया गया। सुबह ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी, और रेंजर ऊन कृष्णकांत की निगरानी में बुलडोजर चलवाकर शमशाद द्वारा वन भूमि पर बनाए गए पक्के मकान को ध्वस्त कराया गया।

मार्च 2024 में अमित कुमार ने एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई थी। कहा था कि जनपद शामली के कई गांवों में वन भूमि पर कब्जा है। एनजीटी ने वन विभाग और जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए थे। इसी क्रम में एनजीटी ने कब्जा हटवाने में लापरवाही पाए जाने पर ऊन वन रेंजर के रेंजर को नोटिस भी भेजा था, और जवाब तलब किया था। इसके बाद डीएम के आदेश पर राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने सात गांवों की पैदाइश कर अभिलेखों का परीक्षण किया। जांच में सामने आया कि कुल 13 हेक्टेयर वन भूमि पर पक्के और स्थायी प्रकार के अवैध निर्माण हैं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश



चौसाना क्षेत्र के बीबीपुर हटिया में अवैध मकान गिराते वन विभाग व पुलिस बल ● सो:स्वर्ण

तीन महीने पहले मिला था आदेश

तीन महीने पहले एनजीटी ने सुनवाई करते हुए शामली वन विभाग को नोटिस जारी किया था। उस समय दैनिक जागरण ने बीबीपुर हटिया समेत सात गांवों की वन भूमि पर अवैध कब्जों की स्थिति को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। एनजीटी ने रेंजर ऊन से यह भी पूछ था कि पहले की शिकायतों के बावजूद कब्जा क्यों नहीं हटवाया गया। कोर्ट ने तीन माह की समय-सीमा तय कर चेतावनी दी थी कि देरी होने पर विभागीय अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

दिया कि इन सभी कब्जों को हटवाया जाए और स्थिति के बारे में पांच जनवरी 2026 तक बताएं। शुक्रवार को हुई कार्रवाई में पुलिस बल मुस्तैद रहा, जिससे किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो सके। वन विभाग रेंजर कृष्णकांत ने बताया कि यह अभियान अब लगातार चलेगा और जिन गांवों में कब्जे चिह्नित हुए

हैं, वहां से बुलडोजर चलाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन इसी गति से काम जारी रखे तो आगामी एक महीने में सभी अवैध अतिक्रमण हट जाना निश्चित है। वहीं विभागीय अधिकारियों ने कहा कि आगे की पूरी रिपोर्ट समय पर माननीय न्यायालय को भेजी जाएगी।



रविवार, 3 दिसंबर, 2025
पत्नी
₹ 7.00
5 18

दैनिक जागरण



www.jagran.com

उपकट्टर, दिल्ली, नक्सलट्टर, हरियाणा, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, तमिल नाडु, सिमांतल इट्टर और ढ इणाल नें इट्टरिड

5 तासुड का डुगतान, फिर करे मसी का सडडान 14

डिनेश डोगट ने की सन्यास से ढषसी 14

वन विभाग की कार्रवाई, अवैध निर्माण कराए धवस्त

बरनावी, सुन्हेटी और वीवीपुर गांव में कई स्थानों पर एक साथ चलाया बुलडोजर, हटवाए जा रहे अवैध कब्जे

संवाद सूत्र, जागरण। चौसाना : वन भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पहले वीवीपुर हटिया में कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि मंगलवार को बरनावी, सुन्हेटी और वीवीपुर में एक साथ कई स्थानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कराए गए।

चौसाना क्षेत्र के कई गांवों में हो रहे वन भूमि पर कब्जे को लेकर मंगलवार को वन विभाग की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची। रेंजर ऊन कृष्णकांत के नेतृत्व में बरनावी निवासी शम्भुदहन और शकूल द्वारा खसरा संख्या 147 और 148 पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इन खसरों पर वने मकान और दीवारों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसी तरह सुन्हेटी निवासी आस मोहम्मद द्वारा खसरा संख्या 218 पर किए गए अवैध निर्माण को भी पूरा तरह ध्वस्त



चौसाना क्षेत्र के बरनावी में चलता बुलडोजर। सौ डन डिजाइन

कर दिया गया। इसके अलावा वीवीपुर निवासी शम्भुदहन द्वारा खसरा संख्या 270 की वन भूमि पर बनाए गए आवासीय निर्माण और चारदीवारी को भी गिरा दिया गया।

कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से निगटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। पूरी कार्रवाई

शान्तिपूर्ण ढंग से संगठन कराई गई। गौरतलब है कि मार्च 2024 में जनपद शामली की वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सात गांवों में स्थलीय



चौसाना के बरनावी में वन विभाग की जमीन पर कब्जा हटाते पुलिस बल। सौ डन

पैमाइश और अभिलेखीय जांच की थी। जांच में वन भूमि पर पक्के और स्थायी प्रकार के अवैध कब्जे पाए गए थे।

एनजीटी द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी चिह्नित अवैध अतिक्रमण को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए और उसको अद्यतन स्थिति नियमानुसार

न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। इसी आदेश के अनुपालन में वन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेंजर कृष्णकांत का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिन खसरा संख्याओं पर अवैध कब्जे चिह्नित हैं, वहां बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकारी (NGT) नई दिल्ली में दायर रिट याचिका
संख्या 915/2024 के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2025 को
पारित आदेश के अनुपालन संबंधी कार्यवृत्त -

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2025 को आदेशित किया गया था, कि वन भूमि पर पाए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दिनांक 05.12.2025 तक माननीय न्यायालय में दाखिल की जाए। उक्त आदेश के क्रम में दिनांक 23.12.2025 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवशेष अतिक्रमित वन भूमि के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त वस्तु स्थिति से जिलाधिकारी महोदय को दिनांक 28.12.2025 को उप जिलाधिकारी कैराना एवं ऊन व तहसीलदार कैराना व ऊन की उपस्थिति में अवगत कराया गया। इस अवसर पर प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा अब तक कुल 1.0646 हेक्टेयर अतिक्रमित वन भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। शेष अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है, सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि अवशेष अतिक्रमित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु तिथियां निर्धारित की जाएं।

उक्त के क्रम में आज दिनांक 29.12.2025 को निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जा रही हैं, जिन पर वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।

क्र०सं०	ग्राम/वन ब्लाक	दिनांक से दिनांक
01	बरनावी	15.01.2026 से 17.01.2026
02	अकबरपुर सुनैहटी	20.01.2026 से 22.01.2026
03	बीबीपुर हटिया	27.01.2026 से 29.01.2026
04	दभेडी बुजुर्ग	01.02.2026 से 03.02.2026
05	बीबीपुर जलालाबाद	07.02.2026 से 09.02.2026
06	पावटी खुर्द	13.02.2026 से 14.02.2026
07	रतौंद	18.02.2026 से 20.02.2026


अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०),
जनपद शामली


प्रभागीय वनाधिकारी,
शामली वन प्रभाग,
जनपद शामली


जिलाधिकारी
जनपद शामली

पत्रांक- 1648 / 14-1 तददिनांकित। 29/12/2025

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी कैराना व ऊन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रतिलिपि पुलिस उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- प्रतिलिपि तहसीलदार कैराना व ऊन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी कैराना व ऊन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग,
शामली।